

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर  
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 275 / 2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

स्वतंत्र माइक्रो हाऊसिंग फाईनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी  
 श्री विरेन्द्र सिंह

पंजीकृत कार्यालय:-1,2,3 एवं 4, ग्राउण्ड फ्लोर, पुष्पक सीएचएसएल, मालवीय  
 रोड़, विले पार्ले (ईस्ट), मुम्बई, महाराष्ट्र-400057

शाखा कार्यालय:-बी-118, मंगल मार्ग, बापू नगर, जयपुर, राज. 302015

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. मखन लाल जाट पुत्र परसाराम निवासी पट्टा न. 58, बुक नम्बर 224, ग्राम पंचायत निमेड़ा, पंचायत समिति खण्डेला, सीकर राज. 332709
2. सुमित्रा देवी पत्नी मखन लाल जाट निवासी पट्टा न. 58, बुक नम्बर 224, ग्राम पंचायत निमेड़ा, पंचायत समिति खण्डेला, सीकर राज. 332709
3. देवा सिंह पुत्र मखन सिंह जाट निवासी पट्टा न. 58, बुक नम्बर 224, ग्राम पंचायत निमेड़ा, पंचायत समिति खण्डेला, सीकर राज. 332709

—अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

**स्वीकृति आदेश**

दिनांक: 23 फरवरी, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री मंयक कुमार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः मखन लाल जाट पुत्र परसाराम, सुमित्रा देवी पत्नी मखन लाल जाट व देवा सिंह पुत्र मखन सिंह जाट की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति पट्टा न. 58, बुक न. 224, ग्राम पंचायत निमेड़ा पंचायत समिति खण्डेला, सीकर राज. 332709 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 298.66 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं—

(मुकुल शर्मा)  
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



उत्तर दिशा में आम रास्ता, दक्षिण दिशा में स्वयं की भूमि, पूरब दिशा में स्वयं की भूमि व पश्चिम दिशा में सुमन देवी पत्नी दीपेन्द्र सिंह का मकान है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल ₹4,78,715/- रुपये (अक्षरे रुपये चार लाख अठहतर हजार सात सौ पन्द्रह) का ऋण स्वीकृत एवं ₹3,50,000/- (अक्षरे रुपये तीन लाख पचास हजार) वितरित कर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **10.09.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **10.09.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **मखन लाल जाट पुत्र परसाराम, सुमित्रा देवी पत्नी मखन लाल जाट व देवा सिंह पुत्र मखन सिंह जाट** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति पट्टा न. 58, बुक न. 224, ग्राम पंचायत निमेड़ा पंचायत समिति खण्डेला, सीकर राज. 332709** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 298.66 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— उत्तर दिशा में आम रास्ता, दक्षिण दिशा में स्वयं की भूमि, पूरब दिशा में स्वयं की भूमि व पश्चिम दिशा में सुमन देवी पत्नी दीपेन्द्र सिंह का मकान है। उक्त



(मुकुल शर्मा)  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।



6. आदेश आज दिनांक **23 फरवरी, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(मुकुल शर्मा)  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर